उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र संख्या सी– **11** /ऋण/नाबार्ड निरी0 एवं सीएआडिट/2017–18 दिनांक–**24.04.2017**

समस्त शाखा प्रबन्धक, ''**महत्वपूर्ण**''
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– बैंक के 23 वें स्वैच्छिक नाबार्ड निरीक्षण एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में एलएफएआर/ आडिट रिपोर्ट द्वारा इंगित की गयी कमियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, क्षे0का0 लखनऊ के अर्धशासकीय पत्रांक–रा.बैं.लख.पर्य.वि./हि./842/ए–45(xxii)/16–17 दिनांक 17.02.17 द्वारा प्राप्त नाबार्ड द्वारा किये गये 23वें स्वैच्छिक निरीक्षण (दिनांक 02.01.2017 से 19.02.2017 तक)एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में एल0एफ0ए0आर/आडिट रिपोर्ट में शाखाओ पर ऋण वितरण से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं पर त्रृटियों/कमियों/आपत्तियों को इंगित किया गया है। उक्त कमियों की पुनरावृत्ति न किये जाने के सम्बंध में बैंक द्वारा समय–समय पर शाखाओं को निर्देश भेजे गये है, फिर भी ऐसी कमियों का प्रकाश में आना यह स्पष्ट करता है कि शाखाओं द्वारा ऋण वितरण के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत किये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन नहीं किया जा रहा है।यह स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक है इंगित की गयी निम्नलिखित कमियों/आपत्तियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति कदापि न की जायें तथा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

1. आवेदन पत्रो की प्राप्ति और निस्तारण के सम्बध में शाखाओं पर लाभार्थी द्वारा ऋण आवेदन प्रार्थनापत्र की नियमानुसार प्राप्ति करते हुए आवेदन पत्र प्राप्ति के रजिस्टर के सभी कालम जैसे– नाम, पता, पुल्लिंग, आवेदन प्राप्त की तिथि एवं उद्देश्य, ऋण राशि की मांग आदि अंकित किये जाय। यह भी सूचित किया जाता रहा है कि ऋण आवेदनपत्र प्राप्ति के रजिस्टर में कोई भी कालम रिक्त न छोड़ा जाय। शाखा के कार्यो में पारदर्शिता लाने के लिए बैंक के परिपत्र संख्या सी 26/ऋण/ऋणनीति/2015–16 दिनांक 18.06.15 के द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये है। उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2. शाखाओं पर दस्तावेजीकरण प्रणाली के सम्बध में शाखाओं के अभिलेखो को पूर्ण करने के सम्बंध में समय–समय पर प्रधान कार्यालय के परिपत्र संख्या सी–21/ऋण/नाबार्ड निरीक्षण/09–10 दिनांक 09.06.09, परिपत्र संख्या सी–27/ऋण/नाबार्ड निरीक्षण/11–12 दिनांक 22.06.11,परिपत्र संख्या–सी–89/ऋण/नाबार्ड निरीक्षण/10–11 दिनांक 05.12.11 व परिपत्र संख्या–सी–30/ऋण/नाबार्ड निरीक्षण/15–16 दिनांक 03.07.15 द्वारा निर्देश दिये गये है कि उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय सभी दस्तावेजों को भी चेक करेंगे कि कोई भी अभिलेख अधूरा नहीं रहे। साथ ही समस्त शाखा प्रबंधकों को यह भी निर्देश प्रेषित किये गये है कि समस्त दस्तावेजो का रख–रखाव सही तरीके से किया जाय। उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3. बैंक मुख्यालय के परिपत्र संख्या–सी 26/ऋण/ऋणनीति/2015–16 दिनांक 18.06.15 के द्वारा विस्तृत रूप से निर्देशित किया गया है कि शाखाओं पर ऋण वितरण प्रणाली के सम्बध में लाभार्थी द्वारा ऋण आवेदन पत्रों की समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर लाभार्थी को ऋण वितरण करना सुनिश्चित किया जाएं।

4. वितरित ऋणों के पर्यवेक्षण के सम्बंध में शाखा द्वारा कृषक को बेहतर सुविधा, पारदर्शिता, समयबद्ध सेवा सुनिश्चत करने हेतु बैंक के परिपत्र सं0 26/ऋण/ऋणनीति/2015–16 दिनांक 18.06.15 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। वितरित ऋणों के सत्यापन हेतु प्रधान कार्यालय के परिपत्र संख्या सी–60/सत्यापन/2014–15 दिनांक 28.10.2014 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि शाखा द्वारा जो भी ऋण वितरण किया जाये, उसका समय–समय पर सत्यापन तथा ऋण लाभार्थी से सम्पर्क आवश्यकतानुसार किया जाये। यह भी निर्देशित किया जाता है कि बैंक से लिये गये ऋण से परिसम्पति सृजित करने के पश्चात समय समय पर पर्यवेक्षण अवश्य किये जाये। उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. शाखाओं पर बडे ऋण केसों के पर्यवेक्षण के सम्बंध में प्रधान कार्यालय के परिपत्र संख्या सी–73/ऋण/ प0सं0–98सी/2016–17 दिनांक 22.09.2016 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि रू0 3.00 लाख से अधिक की ऋण पत्रावली को बंधक हेतु प्रस्तावित कृषि योग्य भूमि का सर्वे शाखा प्रबंधक द्वारा स्वयं किया जायेगा। यह भी निर्देशित किया गया है कि रू0 3.00 लाख(तीन लाख) या इससे अधिक वितरित ऋणों का अन्तिम सदुपयोगिता प्रमाणपत्र शत–प्रतिशत शाखा प्रबंधक द्वारा दिया जायेगा। अतः निर्देशित किया जाता है कि शाखा पर कम से कम 100 बड़े ऋण केसों के सम्बंध में पूर्ण विवरण एक रजिस्टर में रखा जाएं, जिसमे योजना की सफलता/विफलता का उल्लेख किया जाएं। संदर्भित रजिस्टर का अवलोकन मुख्यालय से आकस्मिक निरीक्षण के समय उच्चाधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

6. ऋण प्रार्थनापत्र स्वीकृत करने के सम्बंध में बैंक के परिपत्र सं0 सी–40/ऋण/नीति/2001–02 दिनांक 23.05.2001 एवं परिप. संख्या सी–26/ऋण/ऋण नीति/2015–16 दिनांक 18.06.2015 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि अधिकतम 15 दिनों के अन्दर ऋण वितरण से सम्बन्धित सभी औपचारिकताएं नियमानुसार पूर्ण करते हुए लाभार्थियों को ऋण वितरण किया जाये, उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाएं।

7. शाखा पर ऋणों के सापेक्ष प्रस्तावित कृषि भूमि को बन्धक रखने के सम्बन्ध में बैंक द्वारा समय–समय पर दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। ऋण के सापेक्ष जो कृषि भूमि बन्धक की जायेगी, उस भूमि का मूल्यांकन तीन स्तरों पर यथा–डी0एम0 सर्किल रेट, बजारु मूल्य एवं स्थानीय मूल्य के आधार पर किया जाता है, इन तीनो दरों से जो भी मूल्य कम होता है उसी को आधार माना जाता है। ऋणाभिलाषी द्वारा बैंक के पक्ष में ऋण के सापेक्ष जो कृषि भूमि बन्धक की जाती है उसका नियमित तीन वर्ष के अन्तराल में मूल्यांकन किये जाने के निर्देश हैं। बैंक द्वारा ऋण वितरण हेतु कुछ योजनायें जैसे कृषियंत्रीकरण, एस.आर.टी.ओ. आदि पर प्रोजेक्ट को बन्धक कर उन पर वित्त पोषित अंकित करवाने के निर्देश हैं। बैंक मुख्यालय के परिपत्र सं0 सी–26/ऋण/ऋण नीति/2015–16 दिनांक 18.06.15 के द्वारा समस्त शाखा प्रबंधको को निर्देशित किया गया है। उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अतः उर्पयुक्त बिन्दुओं पर कठोरता से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाये।

ह0/–
(श्रीकान्त गोस्वामी)
प्रबन्ध निदेशक

<u>प्रतिलिपि</u>:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. उप महा प्रबन्धक(कम्प्यू0),उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्र0का0,लखनऊ को बैंक की शाखाओं के ई–मेल पर अपलोड करने हेतु।
2. समस्त मण्डलीय/जनपदीय,पर्यवेक्षक,उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय,लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि शाखाओं पर आकस्मिक भ्रमण के समय अवश्य अवलोकन किया जाएं।
3. समस्त अधिकारी/योजनाधिकारी,उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्र0का0/प्रशिक्षण केन्द्र,लखनऊ।
4. निजी सचिव(सभापति),उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय,लखनऊ को मा0 सभापति महोदय के अवलोकनार्थ।

ह0/–
(आर0 बी0 गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक(प्रशा0/ऋण)